| आदेश का कम सं.तारीख | श्री राजेन्द्र प्रसाद, कार्यालय परिचारी अंचल रहिका के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही अभिलेख संख्याा–5/ए./16–17 में अधिगम/जॉच प्रतिवेदनः– | आदेश पर की गयी कार्रवाई |
|---|---|---|
| 04.03.17 | जिला पदाधिकारी मधुबनी के पत्रांक–39/जि0नि0को0दिनांक–12.11.2016 से श्री राजेन्द्र प्रसाद दास, परिचारी, अंचल रहिका, जिला–मधुबनी के विरूद्ध गठित आरोप प्रपत्र–'क' पर विभागीय कार्यवाही संचालन कर जॉच प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश है।<br>उक्त निदेश के अनुपालन में उपरोक्त कर्मी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालन प्रारम्भ किया गया। जिला पदाधिकारी महोदय के आदेशानुसार अंचल अधिकारी रहिका को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया गया।<br>प्रपत्र–क पर आरोपी कर्मी से स्पष्टीकरण मांगा गया। आरोषी कर्मी उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया एवं अपना पक्ष रखा जिन्हें सूना। स्पष्टीकरण पर सरकार की ओर से पक्ष रखने हेतु अंचल अधिकारी–सह–उपस्थापन पदाधिकारी रहिका को भेजा गया। उनका मंतव्य प्राप्त हुआ।<br>**प्रपत्र–क में गठित आरोप निम्न प्रकार हैः–**<br>1– श्री नारायण जी झा का जॉच प्रतिवेदन किसी दुसरे व्यक्ति के द्वारा दिया गया है जो आपके द्वारा प्राप्त किया गया।<br>2– उक्त जॉच प्रतिवेदन प्राप्त गैर सरकारी कमी से प्राप्त करने की स्थिति में प्रधान लिपिक अथवा नियंत्री पदाधिकारी के संज्ञान में लाया जाना चाहिए था।<br>**आरोपी कर्मी का स्पष्टीकरणः–**<br>दिनांक–03.05.2014 को एक परिचित व्यक्ति जो अपने पहचान के रूप में ये बताये कि वे श्री नारायण जी झा के निकटतम संबंधी (साला) है, श्री झा द्वारा जॉच प्रतिवेदन कार्यालय में जमा करने हेतु दिया गया। कृप्या प्राप्त कर कार्यालय में जमा कर दिया जाय। चूँकि मैं उक्त व्यक्ति से कभी नहीं मिला था ऐसी स्थिति में जॉच प्रतिवेदन प्राप्त करने से पूर्व वे अपने नियंत्री पदाधिकारी (अं0अ0रहिका) के संज्ञान में वस्तु स्थिति लाये। अं0अ0द्वारा उन्हें निर्देशित किया गया कि जॉच प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रधान लिपिक के कार्यालय आते हैं उन्हें हस्तगत करा दिजियेगा। तत्पश्चात् वे जॉच प्रतिवेदन प्राप्त कर निर्देशानुसार प्रधान लिपिक को आते ही दे दिया। इस प्रकार स्पष्ट है कि उनके द्वारा वस्तु स्थिति की जानकारी नियंत्री पदाधिकारी को देने के पश्चात् ही जॉच प्रतिवेदन प्राप्त किया जो उन्होंने अपने नियंत्री पदाधिकारी के आदेश एवं निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित कर अपने दायित्व का निर्वहन किया। अतः आरोप से मुक्त करने का अनुरोध आरोपी कर्मी ने किया है।<br><br>**<u>उपस्थापन पदाधिकारी का मंतव्यः–</u>**<br><br>जिला पदाधिकारी का आदेश ज्ञापांक–27/जि0नि0को0दिनांक 06.01.2017 द्वारा अंचल अधिकारी, रहिका को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया गया है। आरोपी कर्मी के स्पष्टीकरण पर उपस्थापन पदाधिकारी–सह–अंचल अधिकारी रहिका से सरकारी पक्ष मांगा गया। | |

उपस्थापन पदाधिकारी–सह–अंचल अधिकारी रहिका ने अपने पत्रांक–193 दिनांक–16.02.2017 द्वारा अपना मंतव्य दिया है कि आरोपी कर्मी का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य है।

**संचालन पदाधिकारी का अधिगमः–**

श्री राजेन्द्र प्रसाद, कार्यालय परिचारी के विरूद्ध गठित आरोप है कि श्री नारायण जी झा का जॉच प्रतिवेदन किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा दिया गया जो प्राप्त कर प्रधान लिपिक अथवा नियंत्री पदाधिकारी के संज्ञान में नहीं लाया गया। निगरानी विभागीय पदाधिकारी द्वारा वस्तु–स्थिति की जॉचोपरांत समर्पित प्रतिवेदन के आधार पर आरोपी कर्मी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही का संचालन किया गया है। इनका कथन है कि वे कार्यालय परिचारी हैं उनका कार्य मात्र आदेश का पालन करना है, वे पत्र को अंचल अधिकारी महोदय के संज्ञान में लाया तथा उनके निदेशानुसार प्रधान लिपिक को तत्क्षण हस्तगत करा दिये थे। अंचल अधिकारी रहिका ने अपने मंतव्य में आरोपी कर्मी के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य माना है।

**संचालन पदाधिकारी का मंतव्यः–**

आरोपी कर्मी के विरूद्ध प्रपत्र–क में गठित आरोप,आरोपी कर्मी का स्पष्टीकरण, उपस्थापन पदाधिकारी–सह–अंचल अधिकारी, रहिका द्वारा समर्पित मंतव्य का अवलोकन एवं विवेचना की गयी। आरोपी कर्मी के स्पष्टीकरण पर उपस्थापन पदाधिकारी–सह–अंचल अधिकारी रहिका द्वारा दिये गये मंतव्य जिसमें आरोपी कर्मी के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य माना है, के आधार पर आरोपी कर्मी के विरूद्ध आरोप प्रमाणित नहीं होता है।

मूल अभिलेख सभी कागजातों के साथ जिला पदाधिकारी महोदय के अवलोकन रखने हेतु स्थापना उप समाहर्ता मधुबनी को भेजें।

लेखापित

4/3/17

संचालन पदाधिकारी
–सह–अपर समाहर्ता।

4/3/17

संचालन पदाधिकारी–सह–
अपर समाहर्ता, मधुबनी।